संख्या 901 /9 8 19 6केपीए(बजट)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2019

विषयः कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत भूसे चारे आदि की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-8/1199-21/0-207-लेखा/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत नागर निकायों को पशुओं के भूसे चारे आदि की मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट दिशा-निर्देश उल्लिखित न होने के कारण धनराशि का समुचित उपयोग होने एवं उसके सतत् अनुश्रवण किये जाने में कठिनाई आने की संभावना व्यक्त करते हुए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत नागर निकायों में भूसे चारे आदि मद में स्वीकृत धनराशि विषयक शासनादेशों में व्यय किये जाने संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2019 /4179 /सैंतीस 2 2018 1(31)/2017 दिनांक 02 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रदेश की 16 नगर निगमों में छुटटा गोवंश के रखरखाव हेतु स्थापित गौशालाओं के गोवंश के रखरखाव हेतु सहायता की योजना(रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रति नगर निगम 1000 गोवंश हेतु 365 दिवसों (एक वर्ष) के लिए रूपये 30.00 प्रतिदिन प्रति गोवंश अर्थात रूपये 109.50 लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार पशुधन विभाग द्वारा छुटटा गोवंश के रखरखाव हेतु स्थापित गौशालाओं के गोवंश के रखरखाव हेतु प्रति गोवंश प्रतिदिन के लिए रूपये 30.00 (रूपये तीस मात्र) का मानक निर्धारित किया गया है।

3 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों द्वारा संचालित पशु शेल्टर होम्स/कान्हा गौशाला में रखे गये आवारा एवं बेसहारा पशुओं के रख रखाव मद में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में एकरूपता लाये के लिए पशुधन विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित मानक (प्रतिपशु प्रतिदिन रूपये 30.00) की दर के अनुसार प्रदेश की नागर निकायों को भूसे चारे आदि की मद में अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय, प्रति पशु रूपये 30.00 (रूपये तीस मात्र) प्रतिदिन की दर से व्यय किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

25.3.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

GO ANy

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।

3 समस्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

4 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

GO ANY